

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
17/08/2022	<p>पत्रावली रजिस्टर कर अर्थात् को सम्मान मय कल गरी होकर पत्रावली वास्ते नोटिस तामील दिनांक 23/08/2022 को पेश हो</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी शिवलालभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	
23/08/2022	<p>पत्रावली पेश हुई... अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26/08/2022 को पेश की जाये।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
26/08/2022	<p>पत्रावली पेश हुई... अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 01/09/2022 को पेश की जाये।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
01/09/2022	<p>पत्रावली पेश हुई... अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 09/09/22 को पेश की जाये।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
09/09/2022	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता जयशंकर व पेशकार सरकार उपस्थित। पेशकार सरकार तहसीलदार शिवलालभाटा द्वारा पत्र क्रमांक / रीडर / रिपोर्टर</p>	

ग्राम ...
त्रिय वि ...
का अ ...
22.07

2022/809 दिनांक 08 सितम्बर 2022 से जवाब
प्रस्तुत किया जिसकी एक प्रति वकील अर्ची को
दिलार गर्वी जवाब शां. फा. किया। वकील अर्ची ने
बदस हेतु निवेदन किया। जिस पर पेशकार सरकार
के सहमति व्यक्त की। उक्त व्यक्त की बदस सुनी गयी।
प्रां. पत्र धारा 251 व प्रस्तुत जवाब व मॉडल रिपोर्ट
नदसीलदार रावतभाटा का अपलोड कर गहनता से
मजबूत किया गया। अर्ची को अपनी कच्चे काश की
कृमि पर मजे-जके हेतु रास्ते की आवश्यकता है
जो बिलानाम सरकार भारती से प्रस्तावित है।
उक्त रास्ता एकमात्र विकल्प होना चाहिए होता है।
वकील अर्ची की बदस के दौरान प्रस्तुत सबीलों से
हम संतुष्ट हैं। अर्ची द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार
योग्य पाया जाता है। अतः अर्ची के द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थना-पत्र धारा-251 का स्वीकार किया जाता है।
प्रार्थना-पत्र का निर्णय पृथक् से लिखा जाकर
उक्त न्यायालय की रजिस्ट्रार में सुनाया गया। पालना
हेतु नदसीलदार रावतभाटा को भेजा जावे। जवाब की
फैसल नुमांर लेकर नम्बर से कम की जाकर
शामिल फाइल हो।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)